



**न्यूज ब्रीफ**

**दिल्ली स्पीकर ने फाइनेंशियल कमेटीयों के अध्यक्ष नियुक्त**  
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने गुरुवार को 2025-2026 के लिए फाइनेंशियल कमेटीयों के अध्यक्ष नियुक्ति किए। अजय महावर को लोक लेखा समिति, गजेंद्र द्राल को सरकारी उपक्रमों की समिति और हरीश खुराना को अनुमान समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।

**दिल्ली-एनसीआई में सालभर के लिए पटाखों पर बैन बढ़ाया**  
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर लगाए गए प्रतिबंध को जारी रखते हुए सालभर के लिए बैन लागू कर दिया है। जस्टिस अभय ओका और जस्टिस उज्ज्वल भूया की बेंच ने कहा कि पटाखों से होने वाला प्रदूषण सिर्फ 3-4 महीने की समस्या नहीं है, बल्कि यह दिल्ली की हवा को लंबे समय तक जहरीला बनाता है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ग्रीन पटाखों से भी 30 प्रतिशत कम प्रदूषण ही होता है, लेकिन वे पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं हैं।

**तेलंगाना में पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, तुरंत रोकें**  
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना के कांचा गावीबोवली वन क्षेत्र में पेड़ों की कटाई पर नाराजगी जताई और राज्य सरकार को तुरंत इसे रोकने का आदेश दिया। यह इलाका हैदराबाद विश्वविद्यालय के पास है। कोर्ट ने तेलंगाना हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार (न्यायिक) को मौके पर जाकर आज दोपहर 3:30 बजे तक रिपोर्ट देने को कहा। यह मामला तब सामने आया जब 30 मार्च से बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। इस पर छात्रों और पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंचा।

**स्फूटों में 25,753 टीचर्स का सिलेक्शन ही दोषपूर्ण**  
नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग भर्ती घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट का फैसला बरकरार रखा है। चीफ जस्टिस खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने 2016 में पश्चिम बंगाल स्फूट द्वारा 25000 से अधिक शिक्षण और गैर-शिक्षण नियुक्तियों को रद्द करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। विकलांग उम्मीदवारों पर पीठ ने कहा कि नए चयन होने तक उम्मीदवारों को वैतन मिलता रहेगा, विकलांग उम्मीदवारों को नई चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जाएगी।



“ नब्बू ने तुर्की, मलेशिया का उदाहरण लेते हुए कहा कि उन मुस्लिम देशों में वक्फ प्रॉपर्टी को डिजिटल रूप में देखा जा रहा है। सऊदी अरब में भी ऐसा ही किया जा रहा है। वहां की सरकार वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल शिक्षा और जरूरी चीजों पर काम कर रहे हैं। इन मुस्लिम देशों में सरकार वक्फ प्रॉपर्टी को अपने कब्जे में लेकर नहीं हो रही, यहां तो हम कब्जा भी नहीं कर रहे।

**नई दिल्ली। एजेंसी**  
लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 को आज राज्यसभा में पेश किया गया है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने बिल को सदन के पटल पर रखा। बता दें कि करीब 12 घंटे लंबी बहस और तीखी नोकझोंक के बाद, वक्फ (संशोधन) विधेयक 2025 को बुधवार देर रात लोकसभा में पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पक्ष में 288 वोट पड़े, जबकि विपक्ष में 232 सांसदों ने मतदान किया। यह विधेयक वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन को बेहतर करने के उद्देश्य से लाया गया था, जिसे लेकर सत्तारूढ़ एनडीए और विपक्षी दलों के बीच गहरा मतभेद देखने को मिला। अब सभी की नजरें राज्यसभा पर टिकी हैं।

# लोकसभा में पास होने के बाद वक्फ (संशोधन) विधेयक राज्यसभा में पेश मुस्लिम देश ऐसा कर रहे तो भारत में क्या दिक्कत

राज्य सभा में पेश वक्फ बिल पर बोले जेपी नड्डा

**मुस्लिमों को मुख्य धारा में लेकर आए मोदी- नड्डा**  
राज्यसभा में चर्चा के दौरान जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि 70 साल से इस पार्टी ने मुस्लिमों को दायम दर्ज का नागरिक बनाया। मुस्लिमों को मुख्य धारा में पीएम मोदी लेकर आए। वक्फ बिल पर विपक्ष लगातार भ्रम फैला रहा है। वक्फ की संपत्ति का सही रख-रखाव जरूरी है।

**मुसलमान कैसे साबित करेगा अपना धर्म- बीजेडी सांसद**  
बीजेडी सांसद मुजीबुल्ला खान ने वक्फ बिल के नियमों पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि उन्हें सबसे ज्यादा शिकायत उस नियम से है, जिसमें मुसलमान को यह साबित करना जरूरी है कि वह मुस्लिम है। यह वह कैसे करेगा? मैं बिना दाढ़ी का मुसलमान हूँ, लेकिन रोजे लेता हूँ और पांच वक्त की नमाज पढ़ता हूँ।

**एक खास समुदाय को निशाना बना रहे, संजय सिंह का आरोप**  
राज्यसभा में आप सांसद संजय सिंह ने वक्फ (संशोधन) विधेयक का विरोध किया और कहा कि यह कानून एक विशेष समुदाय को निशाना बनाता है। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि भाजपा इस तरह के कानूनों के जरिए आने वाले समय में एक-एक करके सभी अल्पसंख्यक समुदायों को निशाना बनाएगी

## लोकसभा चुनाव में बहुमत नहीं मिला इसलिए वक्फ बिल लेकर आई बीजेपी

राज्यसभा में बृहस्पतिवार को कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी नीत सरकार पर आरोप लगाया कि उसने 2013 में वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करने के बाद अपना रुख इसलिए बदल लिया क्योंकि 2024 के चुनाव में उसे स्पष्ट बहुमत नहीं मिला और वह वक्फ कानून के बारे में देश में तमाम तरह की भ्रांतियां फैला रही है। वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर उच्च सदन में हो रही चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस के

सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि 2013 में जब यह विधेयक संसद में आया तो लोकसभा और राज्यसभा, दोनों सदनों में भाजपा के नेताओं ने उसका समर्थन किया था लेकिन आज इसे 'दमनकारी कानून' करार दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2024 में जब सत्तारूढ़ भाजपा को पूर्ण बहुमत नहीं मिला और वह 240 सीटों पर सिमट गयी तो उसे इस वक्फ कानून की याद आयी और वह इसे दमनकारी कानून कहने लगी। उन्होंने कहा कि भाजपा शासित कई प्रदेशों

में तो वक्फ बोर्ड गठित ही नहीं किये गये और आज अल्पसंख्यक मंत्री वक्फ में पारदर्शिता लाने की बात कर रहे हैं। हुसैन ने सरकार से जानना चाहा कि क्या सरकार 'प्रेविटिंग मुस्लिम' की पहचान करने के लिए कोई अलग विभाग खोलेगी और उन्हें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की फोटो लगा कर कोई प्रमाणपत्र देगी? उन्होंने कहा कि इस विधेयक का असली मकसद यह है कि खुद सरकार की नजर वक्फ की जमीन पर लगी हुई है।

**वे केवल सांप्रदायिक धृवीकरण**  
कांग्रेस सांसद सैयद नसीर हुसैन ने राज्यसभा में कहा कि भाजपा 2024 में बहुमत हासिल करने में विफल रही और अब वक्फ विधेयक लेकर मतदाताओं का धृवीकरण करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा, भाजपा 2024 का चुनाव हार गई क्योंकि वह अपने दम पर बहुमत हासिल करने में भी विफल रही और इसीलिए वे अपना वोट बैंक बढ़ाने के लिए यह विधेयक लेकर आए हैं। वे केवल सांप्रदायिक धृवीकरण कर रहे हैं। आप सांप्रदायिक धृवीकरण करते हैं, और फिर आप हम पर धृवीकरण करने का आरोप लगाते हैं...यह विधेयक पूरी तरह से झूठ पर आधारित है, और पिछले 6 महीनों में गलत सूचना अभियान चलाया गया है।

**मुस्लिम देश ऐसा कर रहे तो भारत में क्या दिक्कत- नड्डा**  
नड्डा ने तुर्की, मलेशिया का उदाहरण लेते हुए कहा कि उन मुस्लिम देशों में वक्फ प्रॉपर्टी को डिजिटल रूप में देखा जा रहा है। सऊदी अरब में भी ऐसा ही किया जा रहा है। वहां की सरकार वक्फ संपत्तियों का इस्तेमाल शिक्षा और जरूरी चीजों पर काम कर रहे हैं। इन मुस्लिम देशों में सरकार वक्फ प्रॉपर्टी को अपने

कब्जे में लेकर काम कर रही है, तब कोई तकलीफ नहीं हो रही, यहां तो हम कब्जा भी नहीं कर रहे। यहां तो वक्फ को कार्टिसिल और बोर्ड ही चलाएगा। यहां तो हम सिर्फ उनको नियम के अनुसार लाने का प्रयास कर रहे हैं। ताकि वे सही ढंग से काम कर सकें। उन्होंने नए-नए प्रयोग करने शुरू किए हैं, ताकि वे ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम आ सकें।  
**नड्डा का कांग्रेस पर हमला**  
जेपी नड्डा ने कहा कि मुस्लिम देश

मिस्र, सूडान और बांग्लादेश में तीन तलाक खत्म हुआ। इराक में और मलेशिया में समाप्त हो गया। ये भारत देश था, जहां मुस्लिम महिलाओं को पीछे धकेला जा रहा है। महिलाओं के हक के लिए नरेन्द्र मोदी आगे आए और कानून को समाप्त किया।  
**संजय सिंह ने मंदिर ट्रस्टों में 80 प्रतिशत आरक्षण की मांग की**  
वक्फ बोर्ड में गैर-मुसलमानों के प्रावधान का विरोध करते हुए संजय सिंह ने सरकार से मांग की कि देशभर के मंदिर

## जब भाजपा सरकार हटेगी तब इस वक्फ बिल को कर देंगे रद्द

वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पास हो गया है। अब राज्यसभा में इसे पेश किया गया है। इस बीच, ममता बनर्जी ने दावा किया है कि नई सरकार आने पर इसे रद्द कर दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को लोकसभा में पास हुए वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जब बीजेपी की सरकार हटेगी तब इस वक्फ बिल को रद्द कर देंगे। उन्होंने बीजेपी पर वक्फ बिल के जरिए देश को बांटने का आरोप लगाया है। बीजेपी पर हमला करते हुए ममता बनर्जी ने कहा, बीजेपी ने देश को बांटने के लिए वक्फ (संशोधन) विधेयक पेश किया है। जब बीजेपी नीत सरकार हटेगी और नई सरकार बनेगी तो (इस) वक्फ विधेयक को रद्द करने के लिए संशोधन किया जाएगा।

## सरकार हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रही: उद्भव ठाकरे

महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्भव ठाकरे ने वक्फ संशोधन बिल पर गुं मंत्री अमित शाह और बीजेपी सांसदों के भाषण पर टिप्पणी की। ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बीजेपी और उसके सहयोगियों ने मुसलमानों के बारे में जो चिंता दिखाई है, उससे मुहम्मद अली जिन्ना भी शर्मिंदा हो जाएंगे। ठाकरे ने कहा- बीजेपी हिंदू-मुस्लिम की राजनीति कर रही है। उन्होंने बीजेपी को चुनौती दी कि अगर वह मुसलमानों को नापसंद करते हैं तो अपनी पार्टी के झंडे से हरा रंग हटा दें। गुरुवार को अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरन रिजिजू ने वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में पेश किया। बुधवार को 12 घंटे की चर्चा के बाद वक्फ संशोधन बिल पास हो गया।

## चीन ने 4 हजार वर्ग किमी जमीन कब्जाई

विदेश सचिव गलवान के जवानों की शहादत पर केक काट रहे : राहुल  
नई दिल्ली। एजेंसी  
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को भारत-चीन के राजनयिक संबंधों की 75वीं सालगिरह के जश्न को लेकर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा- चीन हमारे 4 हजार वर्ग किमी इलाके पर कब्जा करके बैठा है, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि हमारे विदेश सचिव (विक्रम मिश्री) चीनी राजदूत के साथ केक काट रहे थे। लोकसभा में शून्यकाल के दौरान राहुल ने कहा- हम सामान्य स्थिति के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उससे पहले हमें अपनी जमीन वापस मिलनी चाहिए। मुझे पता चला कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री



ने चीनी राजदूत को चिठ्ठी लिखी है और यह भी हमें दूसरों से पता चल रहा है। चीनी राजदूत भारत के लोगों को बता रहे हैं कि उन्हें चिठ्ठी लिखी गई।  
**राहुल बोले- भाजपा की फिलॉस्फी हर विदेशी के सामने सिर झुकाना**  
मोदी सरकार की विदेश नीति पर राहुल गांधी ने कहा- एक तरफ आपने चीन को हमारी जमीन दे दी और दूसरी तरफ अमेरिका ने हम पर

टैरिफ (जैसे को तैसा टैक्स) लगा दिया। इससे देश की ऑटो, फार्मास्यूटिकल और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री तो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। राहुल ने कहा- एक बार किसी ने इंदिरा जी से पूछा कि विदेश नीति के मामले में आप बाएं झुकती हैं या दाएं। इस पर उन्होंने जवाब दिया की मैं बाएं या दाएं नहीं झुकती। मैं भारतीय हूँ और सीधो खड़ी हूँ। भाजपा और आरएसएस की फिलॉस्फी अलग है। जब उनसे पूछा जाता है तो वे कहते हैं नहीं, नहीं, हम हर विदेशी के सामने अपना सिर झुकते हैं। यह उनके इतिहास में है, हम जानते हैं। सरकार को जवाब देना चाहिए कि वह अमेरिकी टैरिफ पर क्या कर रही है।

## अमेरिका ने भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाया, ट्रम्प बोले- मोदी अच्छे दोस्त, टैरिफ पर व्यवहार ठीक नहीं

वॉशिंगटन। एजेंसी  
**अमेरिकी** राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने बुधवार देर रात भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ (रेसिप्रोकल यानी जैसे को तैसा टैरिफ) लगाने का ऐलान किया। ट्रम्प ने कहा- भारत बहुत सख्त है। मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हमारे साथ सही व्यवहार नहीं कर रहे हैं। ट्रम्प ने कहा, भारत अमेरिका पर 52 प्रतिशत तक टैरिफ लगाता है, इसलिए अमेरिका भारत पर 26 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। अन्य देश हमसे जितना टैरिफ वसूल रहे, हम उनसे लगभग आधे टैरिफ लेंगे। इसलिए टैरिफ पूरी तरह से रेसिप्रोकल नहीं होंगे। मैं ऐसा कर सकता था, लेकिन यह बहुत से देशों के लिए कठिन होता। हम ऐसा नहीं करना चाहते थे। भारत के अलावा चीन पर 34 प्रतिशत, यूरोपीय यूनियन पर 20 प्रतिशत, साउथ कोरिया पर 25 प्रतिशत, जापान पर 24 प्रतिशत, वियतनाम पर 46 प्रतिशत और ताइवान पर 32 प्रतिशत टैरिफ लगेगा। अमेरिका ने करीब 60 देशों पर उनके टैरिफ की तुलना में आधा टैरिफ लगाने का फैसला किया है। इसके अलावा दूसरे देशों से अमेरिकी में आने वाले सभी सामान पर 10 प्रतिशत बेसलाइन (न्यूनतम) टैरिफ लगेगा। बेसलाइन टैरिफ 5 अप्रैल को और रेसिप्रोकल टैरिफ 9 अप्रैल को रात 12 बजे के बाद लागू होंगे। बेसलाइन टैरिफ व्यापार के सामान्य नियमों के तहत आयात पर लगाया जाता है।



**ऑटो सेक्टर में 25 प्रतिशत टैरिफ**  
अमेरिका विदेशों में बनने वाले वाहनों पर 25 प्रतिशत टैरिफ लगाएगा। अब तक अमेरिका अन्य देशों से मोटरसाइकिलों पर केवल 2.4 प्रतिशत टैरिफ वसूलता था। जबकि भारत और अरब माइग्रेशन वियतनाम 70 प्रतिशत और अन्य देश इससे भी अधिक कीमत वसूल रहे हैं। इन्होंने अमेरिका को 50 वर्षों तक लूटा, लेकिन यह आज समाप्त होगा।

## सुप्रीम कोर्ट के जज संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करेंगे, जानकारी वेबसाइट पर अपलोड होगी

दिल्ली हाईकोर्ट जज के घर कैश मिलने के बाद फैसला लिया  
नई दिल्ली। एजेंसी  
जुडिशियरी में ट्रांसपैरेंसी और जनता का भरोसा बनाए रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों ने पदभार ग्रहण करने के दौरान ही अपनी संपत्ति का ब्योरा सार्वजनिक करने का फैसला किया है। 1 अप्रैल को हुई फूल कोर्ट मीटिंग में सभी 34 जजों ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की मौजूदगी में अपनी संपत्ति का खुलासा करने का फैसला लिया है। जजों ने यह भी कहा कि सार्वजनिक नहीं किया गया है। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के जज यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने के विवाद के बाद लिया गया है। जस्टिस वर्मा के सरकारी बंगले में 14 मार्च को आम लगी थी। फायर सर्विस टीम को वहां अग्निजले नोट मिले थे।  
**1997 का प्रस्ताव**  
1997 में, तत्कालीन सोनेआई जे एच वर्मा ने एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें जजों से अपेक्षा की गई कि वे अपनी संपत्ति की घोषणा चीफ जस्टिस को करें। हालांकि यह घोषणा सार्वजनिक नहीं की जानी थी। 2009 में, -न्यायाधीश संपत्ति और देनदारियों की घोषणा विधेयक- संसद में प्रस्तुत किया गया।



संपत्तियों से जुड़ी डिजिटल सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। हालांकि वेबसाइट पर संपत्ति की घोषणा स्वैच्छिक होगी। सुप्रीम कोर्ट में जजों की निर्धारित संख्या 34 है। फिलहाल यहां 33 जज हैं, एक पद खाली है। इनमें से 30 जजों ने अपनी संपत्ति का घोषणा-पत्र कोर्ट में दे दिया है। हालांकि इन्हें

## रामायण देखी, कहा- इसकी कहानियां थाई लोगों के जीवन का हिस्सा थाईलैंड में दुनिया की सबसे यंग पीएम से मिले मोदी

नई दिल्ली/बैंकॉक। एजेंसी  
**प्रधानमंत्री** नरेन्द्र मोदी गुरुवार को 2 दिन के थाईलैंड दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने थाईलैंड की पीएम पाइलॉत्ताना शिनवात्रा के साथ जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सबसे पहले पीएम मोदी ने 28 मार्च को भूकंप में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद उन्होंने भारत और थाईलैंड के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंधों पर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सदियों पुराने संबंध हमारी गहरी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक कड़ियों से जुड़े हैं। बौद्ध धर्म के प्रसार ने हमारे लोगों को जोड़ा है। रामायण की कहानियां थाई लोगों के जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं। इससे पहले थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचकर पीएम मोदी ने एयरपोर्ट पर भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। इसके बाद थाई रामायण का मंचन देखा। यहां रामायण को रामाकेन कहा जाता है। इसके बाद पीएम मोदी ने थाईलैंड की पीएम पाइलॉत्ताना शिनवात्रा (38) से द्विपक्षीय मुलाकात की। वे दुनिया की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री हैं। इस दौरान दोनों देशों के अधिकारियों ने व्यापारिक संबंधों पर चर्चा की।



**एक्ट ईस्ट पॉलिसी में थाईलैंड का खास योगदान**  
पीएम ने कहा कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पेरिफिक विजन में थाईलैंड का खास योगदान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप का रूप देने का फैसला किया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रेटजिक डायलॉग स्थापित करने पर चर्चा की गई। साइबर क्राइम के शिकार  
भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए थाईलैंड सरकार का शुक्रिया। हमारी एजेंसी हूमन ट्रेफिकिंग और अवैध माइग्रेशन के खिलाफ एकजुट होकर काम करेंगी। उत्तर पूर्वी राज्यों और थाईलैंड के बीच टूरिज्म, कल्चर, एजुकेशन आदि क्षेत्रों में सहयोग पर बल दिया गया है।  
**भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष थाईलैंड भेजे जाएंगे**  
पीएम मोदी ने कहा कि पीएम शिनवात्रा ने मुझे त्रिपिटक भेंट किया। 'बुद्ध भूमि' भारत की ओर से, मैंने इसे श्रद्धा पूर्वक स्वीकार किया। पिछले साल भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भारत से थाईलैंड भेजे गए थे। मैं यह घोषणा करते हुए खुशी महसूस कर रहा हूँ कि गुजरात के अरावली में 1960 में मिले भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष भी थाईलैंड भेजे जाएंगे।

## संपादकीय

## वक्फ में सुधार

वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता और विपक्ष में मतभेद कायम है, लेकिन सरकार ने सुधार के प्रयास किए हैं। बिल वक्फ संपत्तियों के बेहतर प्रबंधन के लिए है। मुख्य विवाद महिलाओं और गैर-मुस्लिम सदस्यों की भागीदारी पर है। संवाद और भरोसे की कमी बाधा बनी है। वक्फ संपत्तियों की व्यवस्था में सुधार की जरूरत से इंकार नहीं किया जा सकता।



## आरएसएस

संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आम सहमति की उम्मीद तो किसी को नहीं, लेकिन गतिरोध को कम से कम करने का प्रयास जरूर होना चाहिए। इस बिल का असर एक बड़ी आबादी पर पड़ेगा। अगर उसकी चिंताओं को दूर नहीं किया गया तो बिल का मकसद अधूरा रह जाएगा।

**विपक्ष की बात:** सरकार ने पिछले साल अगस्त में वक्फ संशोधन से जुड़ा नया बिल लोकसभा में पेश किया था। तब विपक्ष के विरोध के चलते इसे संयुक्त संसदीय समिति के पास भेज दिया गया। इस साल फरवरी में समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, फिर केंद्रीय कैबिनेट ने उसे मंजूरी दी। सरकार का कहना है कि उसने विपक्ष की बात भी सुनी है, जबकि विपक्ष का आरोप है कि उसके सुझाव बदलावों को स्वीकार नहीं किया गया।

**बेहतर होगा प्रबंधन:** वक्फ को लेकर विवाद कोई नया नहीं है और इसके कामकाज में सुधार होना चाहिए। वहीं, यह बड़ी संपत्ति का मालिक भी है। सरकारी रिपोर्ट बताती है कि फिलहाल वक्फ बोर्ड के पास देशभर में 8.7 लाख संपत्तियां हैं। भारतीय सेना और रेलवे के बाद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। संशोधन बिल से इनके मैनेजमेंट में आसानी होगी।

**महिलाओं को अधिकार:** सेंट्रल

वक्फ कार्टिसल में गैर-मुस्लिम सदस्यों के होने के प्रावधान पर आपत्ति हो सकती है, लेकिन महिला सदस्यों को लेकर हंगामा समझ से परे है। इससे मुस्लिम महिलाओं को अपनी बात रखने और अधिकार हासिल करने का मौका मिलेगा। इसी तरह, बोहरा और आगाखानी के लिए अलग बोर्ड बनने से इनके साथ अभी तक हुए भेदभाव को दूर किया जा सकेगा।

**भरोसे की कमी:** विपक्ष के साथ ही एक वर्ग को डर है कि यह बिल कानून बन गया तो इसके जरिये सरकार धार्मिक मामलों में दखल देगी। हालांकि वक्फ संशोधन विधेयक पेश करते हुए केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वक्फ बोर्ड किसी भी धार्मिक संस्था की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इस तरह की बात सरकार की तरफ से पहले भी कही जा चुकी है। इसके बावजूद अगर गतिरोध कायम है, तो इसकी वजह है संवाद और भरोसे की कमी।

**सुधार का स्वागत:** वक्फ बिल असल में धर्म से ज्यादा प्रॉपर्टी से जुड़ा मसला है। यह भी सच है कि वक्फ संपत्तियों की बदर्जतामी से जुड़ी खबरें आती रही हैं। ऐसे में सुधार की जरूरत से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन सुधार संवाद और सहमति के जरिए हो, टकराव का माहौल न बने, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपराध पर नकेल कसना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मगर इसके लिए तय प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपराध करने वाले का अपराध तब तक सिद्ध नहीं माना जा सकता

## सरकार की बुलडोजर नीति पर सर्वोच्च न्यायालय का सख्त रुख

**अपराध** पर नकेल कसने के लिए कथित अपराधियों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की परिपाटी-सी चल पड़ी है। यह सिलसिला उत्तर प्रदेश में शुरू हुआ था और अब इसे कई राज्य सरकारों ने अपना लिया है। कहीं भी दो समुदायों के बीच कोई फसाद होता है, कोई बड़ी वारदात होती है, तो प्रशासन कुछ लोगों को चिह्नित कर उनके घर गिरा डालता है। जब यह सिलसिला अताकिंक और मनमाने ढंग से तेजी पकड़ने लगा तो इस पर रोक लगाने के लिए अदालतों के दरवाजे खटखटाए जाने लगे। इस पर करीब पांच महीने पहले सर्वोच्च न्यायालय ने सख्त निर्देश जारी करते हुए मकानों-दुकानों आदि के ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी।

सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट कहा कि किसी के आरोपी या दोषी ठहरा दिए जाने से उसका मकान ढहा देने का अधिकार नहीं मिल जाता। प्रशासन को उचित कारण बताना होगा कि कोई भी मकान गिराना क्यों जरूरी है। इसके लिए दूसरे पक्ष की दलीलें भी सुनी जानी चाहिए। उसे अपना जवाब देने के लिए उचित समय दिया जाना चाहिए। अगर कोई अधिकारी इन निर्देशों का पालन नहीं करेगा, तो उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। मगर इसके बावजूद, मकान-दुकान आदि ढहाने का सिलसिला रुका नहीं है। पिछले दिनों उत्तर



प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में ऐसी ही मनमानी करते हुए कुछ मकान ढहा दिए गए।

## प्रयागराज में तोड़े गए मकानों पर कड़ा रुख अखिलतार

अब सर्वोच्च न्यायालय ने करीब चार वर्ष पहले प्रयागराज में तोड़े गए मकानों पर कड़ा रुख अखिलतार करते हुए कहा है कि पीड़ितों को दस-दस लाख रुपए मुआवजा दिया जाए। अदालत ने कहा कि इस मामले ने उसकी अंतराला को झकझोर दिया है। दरअसल, प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने कुछ लोगों के मकान इस शक के आधार पर तोड़ डाले थे कि

वे एक कुख्यात अपराधी की जमीन पर बने हुए हैं। उन मकानों में रहने वालों को एक दिन पहले नोटिस थमाया गया और अगले दिन मकान तोड़ दिए गए।

अदालत ने सवाल किया कि आखिर इस देश में लोगों को आश्रय का अधिकार है या नहीं। जब भी इस तरह मकान-दुकान आदि गिराने के मामले सामने आते हैं, तो सरकारों की दलील होती है कि वे अवैध रूप से बनाए गए थे। मगर यह समझ से परे है कि अवैध रूप से बनाए गए मकानों पर तभी विकास प्राधिकरणों और नगर निगम की निगाह क्यों जाती है, जब कोई अपराधिक घटना घट जाती है। इसके पहले ऐसी जगहों की

निशानदेही क्यों नहीं हो पाती।

## अपराध पर नकेल कसना राज्य सरकार की जिम्मेदारी

इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अपराध पर नकेल कसना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। मगर इसके लिए तय प्रक्रिया को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अपराध करने वाले का अपराध तब तक सिद्ध नहीं माना जा सकता, जब तक कि अदालत ऐसा फैसला न सुना दे। कोई भी सरकार खुद किसी को अपराधी सिद्ध करके उसके घर पर बुलडोजर नहीं चढ़ा सकती। उस मकान में उसके परिजन भी रहते हैं, जो निर्दोष होते हैं।

आखिर किसी के अपराध की सजा दूसरे लोगों को बेघर करके क्यों दी जानी चाहिए। अवैध रूप से या कब्जा करके बनाए गए मकानों को ध्वस्त करने के भी नियम-कायदे हैं, इसीलिए इस तरह की मनमानी कार्रवाइयों को सर्वोच्च न्यायालय ने असंवैधानिक और अमानवीय करार दिया है। विचित्र है कि जिन मामलों को सरकारों को अपने विवेक से, लोगों के मानवाधिकारों का ध्यान रखते हुए सुलझाना चाहिए, उनमें वे खुद कठघरे में खड़ी हो रही हैं।

## जंगलों में चुपचाप होते अतिक्रमण का कौन जिम्मेदार?

**विकास** की कीमत जल, जंगल और जमीन को चुकानी पड़ रही है। उद्योगीकरण और शहरीकरण का प्रतिकूल असर जंगलों पर पड़ा है। हजारों हेक्टेयर वन भूमि पर लगे वृक्षों की कटाई हो जाती है, लेकिन इसके खिलाफ कभी सख्त कार्रवाई नहीं होती। उत्तराखंड में तो पहाड़ से लेकर मैदानी इलाकों तक के जंगल अतिक्रमण की जद में हैं। वन क्षेत्र में अतिक्रमण का कुछ राज्यों में कड़ा विरोध होता रहा है। बावजूद इसके, अगर देश भर के जंगलों में

चुपचाप अतिक्रमण होता चला गया, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। सिर्फ जंगलों के ठेकेदार और खनन माफिया दोषी नहीं हैं।

बड़े उद्योगों को भी खुली छूट मिली और वे प्राकृतिक संपदा के दोहन के लिए वन क्षेत्रों पर कब्जा करते चले गए। कहीं-कहीं जंगलों को काट कर सड़कें बनाई गईं। यही वजह है कि राज्यों की ओर से पिछले दिनों केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय को सौंपे गए आंकड़े उग्रते हैं। इनके मुताबिक पच्चीस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों

में तेरह हजार वर्ग किलोमीटर से अधिक वन क्षेत्र पर अतिक्रमण हो चुका है। जबकि अभी दस राज्यों ने अपने यहां हुए अतिक्रमण की जानकारी नहीं दी है। सवाल है कि अगर दिल्ली, गोवा और सिक्किम के कुल भौगोलिक क्षेत्र से अधिक देश की वन भूमि पर कब्जा हो गया, तो इसे रोका क्यों नहीं जा सका?

**कोयला और खनिजों के खनन के लिए जंगलों की कटाई** कोयला और खनिजों के खनन के लिए

जंगलों की प्रायः कटाई होती रही है। वहीं कृषि और अन्य गतिविधियों के लिए वन क्षेत्रों में अतिक्रमण कोई छिपी बात नहीं है। वनों के दोहन और उनमें औद्योगिक गतिविधियां इसलिए तेजी से बढ़ी हैं कि पर्यावरण मंजूरी से संबंधित कानूनों को बहुत कमजोर बना दिया गया है।

अब इसे गंभीरता से लेने की बहुत जरूरत है, क्योंकि इससे न केवल वन्य जीवन संकट में है, बल्कि इसका मानव जीवन और पर्यावरण पर भी दूरगामी प्रभाव पड़ने लगा है।

## व्यापार

## बाजार में हाहाकार के बीच 89 पर आ गया यह शेयर, एक अधिग्रहण के बाद शेयर खरीदने की लूट

शेयर बाजार में गिरावट के बीच पैरामैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज के शेयर आज 18 प्रतिशत तक चढ़कर 89.50 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे।



शेयर बाजार में गिरावट के बीच पैरामैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज के शेयर आज 18 प्रतिशत तक चढ़कर 89.50 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे। शेयरों में इस तेजी के पीछे एक ऐलान है। दरअसल, पैरामैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हांगकांग (यह पैरामैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (इंडिया) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है) ने जापान में निगमित

कंपनी पैरामैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज केके में 51 प्रतिशत हिस्सेदारी के अधिग्रहण को मंजूरी दे दी है। इस ऐलान के बाद शेयरों में तेजी आई है।

**क्या है अधिग्रहण डिटेल** समझौते के तहत पैरामैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड, हांगकांग, जॉन जेंडानो, एकमात्र शेयरधारक से

अंश 10,000 (लगभग 5,723) प्रति शेयर की कीमत पर अंश 5.1 मिलियन (लगभग ₹29 लाख) के कुल मूल्य पर 510 इक्विटी शेयर प्राप्त करेगा। यह अधिग्रहण कंपनी की अपने अंतरराष्ट्रीय परिचालन का विस्तार करने और नए बाजारों में उपस्थिति स्थापित करने की योजना का हिस्सा है। बता दें कि पैरामैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज केके को सितंबर 2024 में शामिल किया गया था और यह सूचना प्रायोगिक क्षेत्र में काम करती है। हालांकि कंपनी ने अभी तक व्यवसाय संचालन शुरू नहीं किया है, लेकिन इस अधिग्रहण से जापान में भविष्य की व्यावसायिक गतिविधियों और सहयोग का समर्थन करने की उम्मीद है। इस लेन-देन को जापान के अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय से मंजूरी मिल गई है।

## कंपनी ने क्या कहा?

पैरामैट्रिक्स टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के संस्थापक, एमडी और सीईओ मुकेश शुभर ने कहा, फ्रयह अधिग्रहण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विस्तार करने के हमारे प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कदम है। जापान एक सुस्थापित प्रायोगिक बाजार है जिसमें मजबूत विकास क्षमता है, और यह कदम हमें इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति स्थापित करने में सक्षम बनाता है। हमारा लक्ष्य दीर्घकालिक मूल्य बनाने के लिए अपनी विशेषज्ञता का लाभ उठाना और संरचित तरीके से अपने वैश्विक परिचालन को मजबूत करते हुए स्थिर विकास पर फोकस करना है।

अधिग्रहण के लिए भुगतान 5 अप्रैल 2025 तक पूरा होने की उम्मीद है।

## 14 के शेयर को खरीदने टूटे निवेशक, फटाफट कर्ज कम कर रही है कंपनी

**ज्वेलरी** कंपनी पीसी ज्वेलर लिमिटेड के शेयर आज गुरुवार को कारोबार के दौरान फोकस में रहे। कंपनी के शेयर आज 5.22 बढ़कर 14.57 रुपये के इंट्रा डे हाई पर पहुंच गए थे। इसका पिछला बंद प्राइस 13.84 रुपये है। कंपनी के शेयर बीते पांच दिनों में 4.44 चढ़ गए। महीनेभर में यह शेयर 33.33 तक चढ़ गया। सालभर में यह शेयर 140.00 तक चढ़ गया। इस दौरान इसकी कीमत 6 रुपये से बढ़कर वर्तमान प्राइस तक पहुंच गई। बता दें कि कंपनी फटाफट कर्ज कम रही है।

कंपनी के मुताबिक, "चालू वित्त वर्ष के अंत पीसी ज्वेलर लिमिटेड का बैंक कर्ज घटकर 1,775 करोड़ रुपये रह जाने की उम्मीद है। हम अपने बैंक कर्ज को और कम करने और मार्च, 2026 तक ऋण मुक्त होने का लक्ष्य बना रहे हैं।" बता दें कि सोने और चांदी के आभूषण बेचने वाली पीसी ज्वेलर के 15 राज्यों में 55 शोरूम हैं।

**कंपनी की वित्तीय स्थिति** चालू वित्त वर्ष की अप्रैल-दिसंबर अवधि में पीसी ज्वेलर का एकीकृत परिचालन राजस्व एक साल पहले की समान अवधि के 556.91 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,545.58 करोड़ रुपये हो गया। पिछले पूरे वित्त वर्ष में कंपनी का परिचालन राजस्व 605.40 करोड़ रुपये रहा था। अप्रैल-दिसंबर की अवधि में कंपनी का शुद्ध लाभ 482.92 करोड़ रुपये रहा।

## ईपीएफओ का तोहफा, क्लेम प्रोसेस करना हुआ बेहद आसान

सरकार ने किया बड़ा ऐलान, 8 करोड़ लोगों को फायदा

नई दिल्ली। एजेंसी

**रिटायरमेंट** फंड ऑर्गेनाइजेशन ईपीएफओ ने गुरुवार को कहा कि अब पीएफ से ऑनलाइन निकासी के इच्छुक आवेदकों को रद्द किए गए चेक की तस्वीर 'अपलोड' करने की आवश्यकता नहीं है और उनके बैंक खातों को नियोजकों द्वारा वेरिफिकेशन करने की भी जरूरत नहीं है। ईपीएफओ ने ऑनलाइन क्लेम दाखिल करते समय चेक लॉफ या वेरिफिकेशन बैंक पासबुक की छवि अपलोड करने की आवश्यकता को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। इस कदम से लगभग 8 करोड़ ईपीएफओ मेंबर्स को फायदा होगा।

**वर्तमान में क्या है नियम:**

## श्रम मंत्रालय ने क्या कहा?



श्रम मंत्रालय ने बयान में कहा कि ईपीएफओ ने ऑनलाइन दावा दाखिल करते समय चेक या सत्यापित बैंक पासबुक की तस्वीर अपलोड करने की जरूरत को पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। ईपीएफ

सदस्यों के लिए 'जीवन की सुगमता' और नियोजकों के लिए 'कारोबारी सुगमता' सुनिश्चित करने के लिए इन दो जरूरतों को समाप्त कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि इन उपायों से दावों के

समय, यूएन (यूनियर्सल अकाउंट नंबर) या पीएफ संख्या से जुड़े बैंक खाते की चेक या पासबुक की सत्यापित फोटो कॉपी

निपटान की प्रक्रिया में उल्लेखनीय सुधार आया और दावों के खारिज होने से संबंधित शिकायतों में कमी आई। इन आवश्यकताओं को शुरू में कुछ केवाईसी-अपडेट किए गए सदस्यों के लिए टैरिफिंग आधार पर छूट दी गई थी। 28 मई, 2024 को परीक्षण के तौर पर शुरूआत के बाद से, इस कदम से पहले ही 1.7 करोड़ ईपीएफ सदस्यों को लाभ मिल चुका है। मंत्रालय ने कहा कि सफल परीक्षण के बाद, ईपीएफओ ने अब सभी सदस्यों के लिए यह छूट प्रदान की है।

अपलोड करनी होती है। नियोजकों को भी आवेदक के बैंक खाते के विवरण को स्वीकृत करना अनिवार्य है।

## 10 साल पुरानी कंपनी लेकर आ रही आईपीओ

ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म किस्त की भी एंट्री होने वाली है। इस कंपनी ने आईपीओ के साथ पूंजी बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है और इस प्रक्रिया के लिए निवेश बैंकरों को नियुक्त किया है।



**आईपीओ** मार्केट में ऑनलाइन लेंडिंग प्लेटफॉर्म किस्त की भी एंट्री होने वाली है। इस कंपनी ने आईपीओ के साथ पूंजी बाजार में उतरने की तैयारी कर रहा है और इस प्रक्रिया के लिए निवेश बैंकरों को नियुक्त किया है। मिंट को सूत्रों ने जानकारी दी है। जानकारी के मुताबिक कंपनी ने आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, यूबीएस सिक्योरिटीज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और मोतीलाल ओसवाल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग को काम पर रखा है और चौथे बैंकर को तय किया जा रहा है। सूत्र बता रहे हैं कि Kisst द्वारा जून तक नियामक के पास प्री-आईपीओ दस्तावेज दाखिल करने की संभावना है। इसकी योजना 225 मिलियन डॉलर (₹1,926 करोड़) जुटाने की है।

## कंपनी के बारे में

किस्त भारत में एक लीडिंग डिजिटल लेंडिंग प्लेटफॉर्म है, जो क्रिक कर्ज प्रोवाइड करता है। ओनेमी टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया किस्त फिनटेक इनोवेशन में अग्रणी रहा है। यह लेंडिंग फॉर्म न्यूनतम दस्तावेजों के साथ ₹5 लाख तक के पर्सनल और

कॉमर्शियल लोन प्रोवाइड करता है। यह प्लेटफॉर्म एडिटा पार्टनर्स, बुनेई इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और सिंगापुर सरकार जैसे प्रमुख निवेशकों द्वारा समर्थित है।

इस कंपनी की स्थापना साल 2015 में की गई। वेबसाइट पर कंपनी का दावा है कि इसके करीब 5 मिलियन ग्राहक हैं। 50 मिलियन से ज्यादा बार ऐप को डाउनलोड किया गया है। वहीं, एक करोड़ से ज्यादा लोन डिस्बर्स किए गए हैं।

## लॉजिस्टिक्स कंपनी की भी एंट्री

इस बीच, लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर ओम फ्रंट फॉरवर्ड्स लिमिटेड ने आईपीओ के जरिये फंड जुटाने के लिए सेबी के समक्ष दस्तावेज दाखिल किए हैं। सेबी के समक्ष दाखिल दस्तावेजों के अनुसार, आईपीओ 25 करोड़ रुपये के नए शेयर और 72.50 लाख शेयर की बिक्री पेशकश का संभावना है। मुंबई स्थित थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स सर्विस प्रोवाइडर ओम फ्रंट फॉरवर्ड्स लिमिटेड समुद्र, हवा, सड़क और रेल सहित विभिन्न साधनों से परिवहन सेवा प्रदान करती है। कंपनी के शेयर बीएसई और एनएसई पर सूचीबद्ध किए जाएंगे।

# कांग्रेस ने जलाया सीएम का पुतला

लोकायुक्त अब पहरेदार नहीं, हिस्सेदार है : पूर्व विधायक अशोक मर्सकोले

• सौरभ शर्मा को जमानत लोकायुक्त की नाकामी का प्रमाण मंडला। राष्ट्रबाण

मध्यप्रदेश में सौरभ शर्मा मामले लोकायुक्त और सरकार की मिलीभगत का ताजा उदाहरण बनकर सामने आया है। पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा, जिसके पास से करोड़ों रुपये की अघोषित संपत्ति, 52 किलोग्राम सोना और 11 करोड़ से अधिक की नकदी बरामद हुई थी, को लोकायुक्त पुलिस की घोर लापरवाही के चलते विशेष लोकायुक्त अदालत से जमानत मिल गई।

निर्धारित 60 दिनों में चालान पेश न कर पाने की यह नाकामी कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा प्रतीत होती है। इस पूरे प्रकरण में लोकायुक्त की संदिग्ध भूमिका और सरकार की चुपकी जनता के सामने सच्चाई को उजागर कर रही है। इस हाईप्रोफाइल मामले की जांच के दौरान लोकायुक्त निदेशक जयदीप प्रसाद का अचानक ट्रांसफर इस बात का पुख्ता प्रमाण है, कि सरकार इस मामले को दबाने में जुटी है। जयदीप प्रसाद, जिन्होंने सौरभ शर्मा के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कर छोपेपारी की थी को हटाना स्पष्ट करता है, कि बड़े सूरखदोरों को बचाने के लिए सरकार किसी भी हद तक जा सकती है। लेकिन यह कोई पहला मामला नहीं है। मध्यप्रदेश में लोकायुक्त



विरोध करते कांग्रेसी।



अशोक मर्सकोले कांग्रेस पूर्व विधायक।



सौरभ शर्मा करोड़पति कार्टेल।

हम सरकार से निम्नलिखित सवाल पूछते हैं

1. सौरभ शर्मा मामले में चालान पेश न करने की नाकामी के पीछे कौन जिम्मेदार है?
2. जयदीप प्रसाद का ट्रांसफर क्या इस मामले को दबाने की साजिश का हिस्सा है?
3. भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में अभियोजन की अनुमति रोककर सरकार भ्रष्टाचारियों को संरक्षण क्यों दे रही है?
4. लोकायुक्त की बार-बार नाकामी के बावजूद इस भ्रष्ट संस्था को क्यों ढोया जा रहा है?

और सरकार की मिलीभगत से भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का सिलसिला लंबे समय से जारी है। जहां लोकायुक्त अधिकांश मामलों में भ्रष्टाचारियों को बचाने का काम करती है, वहीं कार्रवाई की इच्छा होने पर भी सरकार अभियोजन की अनुमति रोककर अपराधियों की ढाल बन जाती है। लोकायुक्त की कार्यप्रणाली अब एक

निकामी और नकारा संस्था की हो चुकी है। यह पहरेदार की जगह हिस्सेदार की भूमिका में काम कर रही है। सौरभ शर्मा जैसे हाई-प्रोफाइल मामलों में इसकी नाकामी ने साबित कर दिया कि लोकायुक्त पुलिस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। लोकायुक्त, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों द्वारा सौरभ शर्मा के ठिकानों

से बरामद बेशुमार संपत्ति के बावजूद जांच में खिल्लाई, जयदीप प्रसाद का ट्रांसफर और निर्धारित समयवाधि में चालान पेश न करना इस बात का संकेत है कि सरकार और लोकायुक्त मिलकर अपराधियों को खुली कूट दे रहे हैं। ऐसे में अब जरूरी हो गया है कि लोकायुक्त जैसी भ्रष्ट और औचित्यहीन संस्था को बंद कर दिया जाए।

पूर्व विधायक अशोक मर्सकोले की मांग हैं

1. सौरभ शर्मा मामले की निष्पक्ष जांच हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में हो।
2. जयदीप प्रसाद के ट्रांसफर और समयवाधि में चालान पेश नहीं करने के कारणों की विस्तृत जांच हो।
3. लोकायुक्त संस्था को तत्काल भंग कर इसकी जगह एक स्वतंत्र और प्रभावी संस्था का गठन किया जाए। मध्यप्रदेश की जनता यह जानना चाहती है कि सौरभ शर्मा को जमानत और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने के पीछे का सच क्या है? यदि सरकार ने इस मामले में पारदर्शिता नहीं दिखाई और लोकायुक्त संस्था को बंद करने की मांग पर अमल नहीं किया, तो यह साबित हो जाएगा कि उसका भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का दावा महज एक छलावा है। हम चेतावनी देते हैं कि जनता इस अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका जवाब सड़कों पर और लोकतंत्र के हर मंच पर देगी। कार्यक्रम में मुख्य रूप से शहर कांग्रेस अध्यक्ष राजनीश रंजन उरसराटे, प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता डॉ अशोक मर्सकोले, राजेंद्र राजपूत, अदीब गौरी, सुभाष नामदेव, चंद्र मोहन सराफ, राजेश मिश्रा, महेंद्र चंद्रोला, लखन ठाकुर, ऋषि राय, विनोद चौधरी, अनिल दुबे, श्रीकांत कछवाहा, कोविंद सिंह ठाकुर, अमन लाहोरीया, अमित रजक, आदि कांग्रेस जन उपस्थित रहे।

कलेक्टर कार्यालय की सभी शाखाओं का काम अब ई-ऑफिस से शुरू



बालाघाट। राष्ट्रबाण कलेक्टर मृगाल मीना ने नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में ई-ऑफिस प्रणाली के तहत क्रियान्वयन प्रारम्भ कर दिया है। शुक्रवार को कलेक्टर श्री मीना ने उनकी लॉग इन पर आयी 10 फाइलों का निराकरण कर इस प्रक्रिया से कार्य प्रारम्भ किया है। ज्ञात हो कि अब कलेक्टर कार्यालय की सभी शाखाओं को ई-

ऑफिस पर ऑन बोर्ड किया जा चुका है। साथ ही इसके अलावा 10 विभाग भी अब इन प्रक्रिया के तहत कार्य प्रारम्भ करने की स्थिति में हैं। ई-ऑफिस के तहत संचालित होने वाले अन्य विभागों में आबकारी, ई-गवर्नेंस, कोषालय, आयुष्म, श्रम, उप पंजीयक सहकारिता, कृषि, पेंशन, रेशन और जनजाति कार्य विभाग शामिल हो गए हैं।

नगर की चौपाटी का निरीक्षण करने पहुंचा खाद्य प्रशासन अमला



बालाघाट। राष्ट्रबाण कलेक्टर मृगाल मीना के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा प्रशासन अमले की सक्रियता बरकरार है। ज्ञात हो जिला प्रशासन द्वारा स्ट्रीट फूड वेंडर हाकर पर विशेष अभियान के अंतर्गत निरंतर कार्यवाही की जा रही है। इसी के अंतर्गत गुरुवार को अभिहीत अधिकारी डॉ. परेशा उपलप के मार्गदर्शन में खाद्य अमले द्वारा वारासिवनी एसडीएम ऑफिस के बगल में स्थित चौपाटी का औचक निरीक्षण किया गया। जिसमें चाट नेपाली मोमोज

शिवलय चाट सेंटर, मॉ भवानी चाट चाउ माउ चाउमिन आदि प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया। अमले द्वारा निरीक्षण के दौरान मंचूरियन राइस एवं मंचूरियन फ्राइड राइस तथा पानी पुरी का पानी आदि के नमूने जांच के लिये लिए गए। इसके साथ ही फेरी कर चाट गुपचुप का व्यवसाय करने वाली को विशेष रूप से साफ स्वच्छता रखरखाव एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य पदार्थों के संबंध में जानकारी प्रदाय की गई। इस दौरान खाद्य अमले ने अनियमितता पर नोटिस भी जारी किया।

लोग बोले: डाइट - सीएम राइज स्कूल में मर्ज हो



पेरेंट्स ने कहा- पांचवीं के बाद इंग्लिश मीडियम का सरकारी विकल्प नहीं

बालाघाट। राष्ट्रबाण

बालाघाट में शासकीय प्राथमिक अभ्यास शाला अंग्रेजी माध्यम डाइट के विद्यार्थियों के पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने से मना कर रहे हैं। नए शैक्षणिक सत्र की शुरुआत के तीन दिन बाद भी स्कूल में बच्चे नहीं पहुंच रहे हैं। अभिभावकों की मुख्य मांग है कि स्कूल को सीएम राइज स्कूल में विलय किया जाए। वर्तमान में स्कूल में कक्षा पांचवीं तक की पढ़ाई होती है। पांचवीं के बाद बच्चों के लिए अंग्रेजी माध्यम का कोई सरकारी विकल्प नहीं है। पहले उत्कृष्ट विद्यालय में माध्यमिक कक्षाएं थीं, लेकिन अब वह भी सीएम राइज में विलय हो चुका है।

इस साल लगभग 30 छात्रों के सामने प्रवेश की समस्या है। कुछ गरीब परिवार अपनी आर्थिक

स्थिति के बावजूद निजी स्कूलों का रुख कर रहे हैं। कई परिवार बच्चों को हिंदी माध्यम में भेजने की सोच रहे हैं। पिछले साल से प्रशासन से इस मुद्दे पर बात हो रही पालक शिक्षक संघ के अध्यक्ष रितेश सोनवाने के अनुसार अगस्त 2024 से प्रशासन से बातचीत चल रही है। शिक्षा विभाग स्कूल को एमएलबी की पुरानी बिल्डिंग में स्थानांतरित करना चाहता है। जिम्मेदारों का ये कहना है- स्कूल की प्राचार्य संध्या तिवारी ने डीईओ से इस मुद्दे पर पत्राचार किया है। सीएम राइज स्कूल के प्राचार्य डॉ. युवराज राहंगडाले ने कहा कि सरकारी स्कूलों के बच्चों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि, अभी नया भवन हस्तांतरित नहीं हुआ है और प्रवेश संबंधी निर्देश का इंतजार है। जिला शिक्षा अधिकारी अश्विनी उपाध्याय ने बताया कि स्कूल से पत्र मिला है, चूंकि आज वे बाहर है कल, इस मामले में स्कूल प्रबंधन और अभिभावकों से चर्चा की जाएगी।

कैंडाटोला स्कूल में अधिकारियों को मिली अत्यवस्थाएं



बालाघाट। राष्ट्रबाण

नये शिक्षण सत्र की शुरुआत हो रही है और स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाया जा रहा है। जिसे लेकर अधिकारियों के दल बकायदा क्षेत्र की स्कूलों में पहुंचकर बच्चों को शिक्षण सामग्री का वितरण कर रहे हैं और उन्हें मार्गदर्शन भी दे रहे हैं।

प्राकृतिक आपदा से हुई मृत्यु पर आर्थिक सहायता स्वीकृत

बालाघाट। राष्ट्रबाण

एसडीएम बालाघाट गोपाल सोनी ने राजस्व पुस्तक परिपत्र 6/4 के प्रावधानों के तहत प्राकृतिक आपदा अंतर्गत आकस्मिक रूप से हुई मृत्यु पर आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की है। 23 फरवरी 2025 को लामता तहसील के ग्राम गुडरू निवासी स्व.भावेश की वैनांगा नदी के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। जिसके उपरांत मृतिका के पिता श्री बिन्दावन लिलहारे को 4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है।

लेकिन स्कूलों में अत्यवस्था का आलम बना हुआ है। कई स्कूल ऐसी हैं जहां अध्ययनरत् छात्र छात्राओं के लिये सुविधायें तक नहीं हैं। उन्हे शौचालय इत्यादि जैसी सुविधाओं के लिये भटकना पडता है। दरअसल, बीते दिनों ही बिरसा विकासखंड के अंतर्गत आने वाली



कैंडाटोला प्राथमिक स्कूल में प्रवेश उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया था। जहां कार्यक्रम में बिरसा तहसीलदार और बीआरसी शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने स्कूल परिसर का निरीक्षण भी किया, जहां उन्होंने स्कूल में कई खामिया पाईं। यहां बच्चों के लिये ना तो शौचालय की सुविधा देखने

मिली और ना ही अन्य कोई सुविधाएं। खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिये स्कूलों में खेल सामग्री भी उपलब्ध होना चाहिये, वह भी नहीं थी। परिसर के अंदर कई सामग्री अस्त-व्यस्त बिखरी पड़ी थी। जिनसे सम्झा जा सकता है कि स्कूलों में सुविधाओं का अभाव चरम पर है।

मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

तेज हवाएं चलने की आशंका; कहा- घर से बाहर न निकले, दोपहर में हुई हल्की बारिश

बालाघाट। राष्ट्रबाण

बालाघाट में पिछले दो दिनों से मौसम का मिजाज बदला हुआ है। गुरुवार को सुबह से ही आसमान में काले बादल छाए रहे। सुबह 11 बजे के बाद हल्की बारिश शुरू हो गई। बारिश के कारण ठंडी हवाएं चल रही हैं। इससे तापमान में गिरावट आई है। लोगों को पिछले कुछ दिनों से पड़ रही गर्मी से राहत



मिली है। बारिश से बचने के लिए लोग छाता लेकर घर से निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार 4 अप्रैल को 40 से 50 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। कुछ इलाकों में बारिश की भी संभावना है। मौसम विभाग ने लोगों को सुरक्षा के लिए कई सलाह दी हैं। घर

से बाहर न निकलें। जरूरी न हो तो यात्रा न करें। पेड़ों के नीचे न खड़े हों। बिजली के उपकरणों से दूर रहें और उनके फ्लग निकाल दें। किसानों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। कटी हुई फसलों को सुरक्षित जगह पर रखें। फल और बागवानी फसलों में हेलनेट का इस्तेमाल करें। फसलों की नियमित जांच करते रहें। कीड़ों और बीमारियों से बचाव के लिए जैविक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। पशुपालकों को भी सतर्क रहने को कहा गया है। पशुओं को खुले में न रखें। उन्हें तालाब या नदी से दूर रखें। रात में उन्हें बंद जगह में रखें।

कटंगी के सीएमओ सहित 3 प्रभारियों के वेतन रोके जाएंगे

9 तक निकायों में पीएम आवास का सर्वे कर रिपोर्ट बनाई जाएगी

ग्राम पंचायत नगपुरा में सुदूर सड़क व तालाब फिशरिंग पोंड के लिए भूमिपूजन

जिला पंचायत सदस्य, जनपद सदस्य व सरपंच के हस्ते

लालबर्ग। राष्ट्रबाण

जनपद पंचायत लालबर्ग अंतर्गत ग्राम पंचायत नगपुरा में 2 अप्रैल 2025 को जिला पंचायत सदस्य सभापति, जनपद सदस्य, ग्राम सरपंच व पंच की मुख्य उपस्थिति में ग्राम में सुदूर सड़क व तालाब फिशरिंग पोंड (मछली के बच्चे पालने का टाका) का निर्माण कार्य प्रारंभ करने के लिए भूमिपूजन किया गया। उक्त भूमिपूजन में जिला पंचायत सदस्य सभापति झामसिंह नागेश्वर, जनपद सदस्य हरिशंकर



बनवारी (मुन्ना भैया), सरपंच श्रीमती अनिता डॉ जीवन लिलहारे, पंच सोनुला मेश्राम, सचिव अभिषेक अवधिया, रोजगार सहायक विजय तर्करे, मेट चन्द्रभान गोस्वामी एवं ग्रामीण राजू बिसेन, किशोर यादव व अन्य ग्रामीण जन की उपस्थिति में मनरेगा योजना अंतर्गत 18 लाख की स्वीकृत राशि से नक्काटोला रोड पर नगपुरा के मोक्षधाम पहुंच मार्ग पर

अथवा मुख्य मार्ग से रामचरण नगपुरा के खेत तक सुदूर सड़क निर्माण के लिए एवं 4 लाख की स्वीकृत राशि से तालाब फिशरिंग पोंड (मछली के बच्चे पालने का टाका) का निर्माण के लिए उक्त स्थल पर अगवनी जलाकर तिलक कुमकुम अक्षत से पूजन कर श्रीफल नारियल भेंट कर कुदाली चलाकर भूमिपूजन किया गया।

राजस्व और नगरपालिका का संयुक्त दल करेगा सर्वे नगरीय निकायों के कार्यों की कलेक्टर ने की समीक्षा

बालाघाट। राष्ट्रबाण

कलेक्टर मृगाल मीना ने गुरुवार को जिले कि 6 नगरीय निकायों के अमले के साथ निकायों द्वारा सम्पादित किये जाने वाले महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा के लिए बैठक आयोजित की। साथ ही पीएम आवास योजना के तहत सर्वे के कार्यों की प्रगति रिपोर्ट देखी। पीएम आवास के मामले

सबसे अधिक बालाघाट में प्राप्त हुए ऑनलाइन आवेदन पीएम आवास के सर्वे कार्य की समीक्षा में प्रस्तुत पोर्टल की जानकारी के अनुसार बालाघाट में सबसे अधिक 801 आवेदन प्राप्त हुए हैं। पीएम आवास के लिए ऑनलाइन आवेदन दर्ज कराए जा रहे हैं। कलेक्टर श्री मीना ने ऑफलाइन प्राप्त हुए आवेदनों को ऑनलाइन कर 9 अप्रैल तक सर्वे करने के निर्देश दिए। ऑनलाइन आवेदनों की स्थिति मलाजखण्ड में 746, वारासिवनी में 312, बैहर में 174, कटंगी में 25 लांजी में 3 व ऑफलाइन 227 आवेदन लांजी में प्राप्त हुए हैं। सर्वे में राजस्व विभाग और नपा का अथ यक्ष संयुक्त रूप से सर्वे में शामिल होंगे।

केवल वारासिवनी निकाय द्वारा ही सर्वे दल का गठन कर सर्वे कार्य प्रारम्भ किया गया। जबकि अन्य 5 निकायों द्वारा बैठक तक सर्वे दल गठन नहीं होने पर नाराजगी व्यक्त की। इसके अलावा उन्होंने 9 अप्रैल तक सर्वे कार्य पूर्ण करने की ह्दयवत दी है। साथ ही कलेक्टर श्री मीना ने निर्देश दिए हैं कि पारदर्शी तरीके से सर्वे कार्य सभे प्ने न कराएँ। बैठक में जल, बिजली, स्वास्थ्य, योजना अतिक्रमण, अवैध कॉलोनी जैसी शाखाओं के कार्यों की समीक्षा की गई। कलेक्टर श्री मीना ने शाखा प्रभारियों से सम्बंधित कार्यों के

सम्बंध में जाना तथा उनकी शाखाओं से जुड़े कार्यों की सीएम हेल्पलाईन पर लिखित शिकायतों के बारे में भी जानकारी ली गई। कलेक्टर श्री मीना ने बालाघाट के सीएमओ श्री कतरोलिया व निकाय के 7 शाखा प्रभारियों के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कटंगी नगर पालिका के सीएमओ सहित तीन शाखा प्रभारियों के भी वेतन आहरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा कटंगी नपा के पीएम आवास प्रभारी श्री राजेश चौरा का प्रभार भी बदलने को कहा है। बैठक में सभी निकायों के सीएमओ सहित उपयंत्री और शाखा प्रभारी मौजूद रहे।

इन अधिकारियों का रोका जाएगा वेतन

कलेक्टर श्री मीना ने बैठक में देरी से पहुँचने पर नगरपालिका सीएमओ बीडी कतरोलिया का वेतन रोकने तथा सहायक यंत्री (लोक निर्माण विभाग) सत्यम जाट, सहायक ग्रेड 03 मनोज साहू, उपयंत्री (स्वास्थ्य शाखा) श्रीमति प्रीति घरते, उपयंत्री (जलप्रदाय शाखा) श्रीमति ज्योति मेश्राम, उपयंत्री (प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0) श्रीमति अशिका चौहान, उपयंत्री दीपक बिसेन, तथा नगर प्रिकार कटंगी के सीएमओ रवि प्रकाश श्रीवास्तव, उपयंत्री राजेश चौकसे के वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं।

## भीमपुर और चिचोली में करोड़ों के भ्रष्टाचार की हो जांच

आदिवासी कांग्रेस ने प्रभारी मंत्री को सौंपा ज्ञापन, तापी मेगा रिचार्ज परियोजना निरस्त करने की उठाई मांग

बिजली कटौती से ग्रामीण परेशान, आदिवासी कांग्रेस ने सरकार से मांगा समाधान बैतूल। राष्ट्रबाण

कलेक्टर कार्यालय में गुरुवार 3 अप्रैल को आदिवासी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष रामू टेकाम ने प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में तापी मेगा रिचार्ज परियोजना को निरस्त करने और चिचोली जनपद में स्वच्छ भारत मिशन में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच की मांग की गई।

रामू टेकाम ने प्रभारी मंत्री को बताया कि केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित तापी मेगा रिचार्ज परियोजना के कारण भीमपुर ब्लॉक के 54 गांव डूब क्षेत्र में आ सकते हैं, जिससे वहां निवास करने वाले गरीब आदिवासी किसान बुरी तरह प्रभावित होंगे। पूर्व में भी हजारों आदिवासियों ने इस परियोजना का विरोध किया था और सरकार को ज्ञापन सौंपा था। आदिवासी कांग्रेस ने मांग की कि स्थानीय जनता की सहमति के बिना सरकार इस परियोजना का निर्माण न करे, क्योंकि कोई भी आदिवासी अपनी जमीन देने के लिए तैयार नहीं है।



भ्रष्टाचारियों पर हो कठोर दंडात्मक कार्रवाई



इसके अलावा रामू टेकाम ने चिचोली जनपद और भीमपुर जनपद में स्वच्छ भारत मिशन में हुए करोड़ों के भ्रष्टाचार को लेकर उच्च स्तरीय जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि इस घोटाले में सलिस अधिकारियों पर कठोर दंडात्मक कार्रवाई हो और दोषी अधिकारियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों ने फर्जी बिल बनाकर सरकारी धन का गबन किया है, इसलिए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भीमपुर आदिवासी ब्लॉक है और संविधान की पांचवीं अनुसूची के तहत यहां पेसा कानून लागू है, जिसका पालन सरकार को करना चाहिए। उन्होंने चेतावनी दी कि आदिवासी समुदाय किसी भी हालत में यह परियोजना स्वीकार नहीं करेगा और इसे तुरंत निरस्त किया जाए।

पेसा कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाए ज्ञापन में यह भी मांग की गई कि मध्यप्रदेश के 89 ब्लॉकों में पेसा कानून को प्रभावी रूप से लागू किया जाए। रामू टेकाम ने आरोप लगाया कि वर्तमान भाजपा सरकार ने पेसा कानून को केवल कागजों पर लागू किया है, लेकिन जमीनी

स्तर पर इसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि अगर इस कानून को सही तरीके से लागू किया जाए तो आदिवासियों का विकास संभव है। उन्होंने भीमपुर और घोडाडोंगरी ब्लॉक मुख्यालयों पर बने मॉडल स्कूलों में छात्रावासों की सुविधा की मांग की। उन्होंने कहा कि छात्रावास

### बिजली विभाग की मनमानी

बिजली विभाग की मनमानी को लेकर भी कांग्रेस नेताओं ने ज्ञापन में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि बिजली बिल जमाने पर पूरे गांव की बिजली काट दी जाती है, जिससे ग्रामीण जनता को भारी परेशानी होती है। सरकार को इस पर ध्यान देकर ग्रामीण जनता को राहत प्रदान करनी चाहिए और सभी को पर्याप्त बिजली उपलब्ध करानी चाहिए। इस ज्ञापन के दौरान वरिष्ठ कांग्रेस नेता अरुण गोठी, चिचोली ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नेकराम यादव, भीमपुर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चुनीलाल यादव, रमेश काकोडिया, दीपक बारस्कर, अखिलेश पटेल, महेश उडके, राजेश बाबा, सलमान खान, अनिल मगरकर, सोनू धूँँ और अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

न होने के कारण गरीब आदिवासी और कमजोर वर्ग के बच्चों को शिक्षा में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार को तुरंत इन स्कूलों में छात्रावासों की व्यवस्था करनी चाहिए ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो।

## विधायक के प्रयासों से सिंचित होगी 2210 एकड़ भूमि

22.96 करोड़ की लागत से तीन और डैम की मिली सौगात



मुलताई। राष्ट्रबाण

अपने नवीन कार्यकाल में विधानसभा क्षेत्र मुलताई को अब तक 10 डैमों की स्वीकृति दिलाने वाले लोकप्रिय नेता विधायक चंद्रशेखर देशमुख से प्रयासों से विधानसभा क्षेत्र मुलताई को कुल रूप 22.96 करोड़ की लागत से तीन और नए डैमों की स्वीकृति प्राप्त हुई जिससे कुल 894 हैक्टेयर (2210 एकड़) भूमि सिंचित होगी। इस प्रकार अपने नवीन कार्यकाल में विधायक द्वारा अबतक कुल 13 डैमों की स्वीकृति दिलाने का काम किया गया है। विधानसभा क्षेत्र मुलताई के नागाढाना डैम द्वारा कुल रूप 11 करोड़ 25 लाख 6 हजार की लागत से कुल 402 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी, बिछुआ डैम द्वारा कुल रूप 6 करोड़ 78 लाख 9 हजार की लागत से कुल 230 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी वहीं खोदरीढाना डैम द्वारा कुल रूप 4

करोड़ 91 लाख 45 हजार की लागत से कुल 262 हैक्टेयर भूमि सिंचित होगी। विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध विधायक चंद्रशेखर देशमुख से लंबे समय से क्षेत्रवासियों द्वारा डैम की मांग की जाते रही हैं जिसे पूरा कर जहां विधायक चंद्रशेखर देशमुख द्वारा किसानों के कृषि क्षेत्र के लिए सिंचाई सुविधा सुनिश्चित करने का काम किया गया है, वहीं ग्रामीण अंचलों के लिए पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित कर पीने के पानी के संकट को दूर करने का काम भी किया गया है। इस प्रकार एक के बाद एक डैम की स्वीकृति दिलाकर विधायक चंद्रशेखर देशमुख द्वारा क्षेत्र को विकास के नए पथ पर अग्रसर करने का प्रयास किया गया है। विदित हो की यहां नए डैम आदिवासी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वीकृत हुए हैं। नए डैम की

स्वीकृति से ग्रामीण क्षेत्रों में खुशी का माहौल है। ग्रामीणवासियों द्वारा विधायक का धन्यवाद आभार प्रकट किया गया है। विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने नए डैमों की स्वीकृति पर मुख्यमंत्री मोहन यादव, मध्यप्रदेश सरकार में जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट और बैतूल जिला प्रभारी मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल का आभार जताया है। विधायक चंद्रशेखर देशमुख ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की केंद्र और प्रदेश की डबल इंजन की सरकार देश और प्रदेश के विकास के नए आयाम स्थापित कर रही है। उन्होंने आगे कहा हमारे लिए राजनीति जनसेवा का एक माध्यम है। हमारा लक्ष्य प्रत्येक वर्ग का विकास करना है। इन डैमों की स्वीकृति से निरसंदेह किसानों का कृषि रकबा बढ़ेगा जिससे उनकी आय में वृद्धि होगी और क्षेत्र का विकास होगा।

## मां कात्यायनी के दरबार में 651 मनोकामना कलश स्थापित

सिवनी में षष्ठी के दिन पूजा करने पर विवाह बाधा दूर होता है

सिवनी। राष्ट्रबाण

सिवनी जिले के बंडोल गांव स्थित कात्यायनी माता सिद्ध पीठ में गुरुवार को षष्ठी पूजन किया जा रहा है। मंदिर में श्रद्धालुओं ने 651 मनोकामना कलश स्थापित किए हैं। कात्यायनी सिद्ध पीठ के मुख्य पुजारी पंडित सत्येंद्र शास्त्री के अनुसार, षष्ठी के दिन किया गया पूजन विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करता है। उन्होंने बताया कि इस विशेष पूजन से 6 माह के भीतर विवाह संपन्न हो जाता है।



मंदिर में 10 फरवरी 1995 को जगतगुरु स्वामी स्वरूपानंद महाराज द्वारा माता कात्यायनी की प्राण प्रतिष्ठा की गई थी। तब से मंदिर के गर्भगृह में अखंड ज्योत जल रही है। विद्वान पंडित राजकुमार शास्त्री, लक्ष्मण शास्त्री, नरेश शास्त्री और नरेश पंडा विशेष पूजन करा रहे हैं। पुजारी ने शास्त्री ने बताया कि

भागवत महाराण के दशम स्कंध के 22वें अध्याय में कात्यायनी माता की महिमा का वर्णन है। ब्रज की कुमारियों ने मृगशिर माह में कात्यायनी माता के व्रत और पूजन से श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त किया था। इसी आस्था के चलते आज सिवनी सहित कई स्थानों से लोग विवाह के लिए विशेष पूजन करने पहुंचे हैं।

### दो दिन से लापता युवक का मिला शव

सिवनी। सिवनी में गुरुवार को दो दिन से लापता एक युवक का शव दलसागर तालाब में मिला है। मृतक की पहचान जीतेश यादव (30) निवासी कटंगी रोड के रूप में हुई है। बीते 1 अप्रैल को परिजनो ने कोतवाली थाने में युवक के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। राहगीरों और स्थानीय लोगों ने गुरुवार सुबह करीब 9 बजे तालाब में युवक जीतेश का शव उतराता हुआ देखा। मृतक की बाइक दलसागर स्थित शराब दुकान के पास लावारिस हालात में मिली थी। मृतक जीतेश शहर में ही चर्च के सामने चाय-पान की दुकान भी चलाता था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से शव को तालाब से बाहर निकलवाया।

## मुलताई तहसील के ग्राम कोल्हिया में पांच दिवसीय कोया पुनेम गाथा का शुभारंभ

बैतूल। राष्ट्रबाण

यूवा आदिवासी विकास संगठन कोल्हिया द्वारा ग्राम में गुरुवार को भव्य कलश यात्रा एवं रैली निकालकर पड़ोस स्थापना के 9वीं वर्षगांठ पर कोया पुनेम गाथा का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर समस्त ग्रामवासी बड़ी संख्या में रैली में उपस्थित रहे और पूरे उत्साह के साथ कार्यक्रम में भाग लिया।

आयोजक मनोहर कोराची और राजेश वरकडे ने बताया कि इस विशेष आयोजन में छिंदवाड़ा के गोंडी धर्माचार्य विलास कुमरे द्वारा कोया पुनेम का वाचन किया जा रहा है। कोया पुनेम गाथा गोंड समाज के धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहलुओं को उजागर करती है, जो समुदाय की पहचान और परंपराओं को संरक्षित रखने में सहायक होती है।

कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महाजन गेंदु वरकडे ने बताया कि इस पांच दिवसीय कार्यक्रम के अंतिम दिन विशेष सांस्कृतिक



कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इसमें अलंकार गुप आमला के संचालक कैलाश सलामे, बैतूल की सुपरहित गायिका ममता उडके और सुपरहित सिंगर शिवम इरपाचे अपने लाइव

गानों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। इसके अलावा, पारंपरिक नृत्य और रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों की भी प्रस्तुति होगी, जिसमें गोंडी संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। ग्राम कोल्हिया में हो रहे इस

कोया पुनेम का महत्व कोया पुनेम गोंड समाज की धार्मिक आस्था और परंपराओं से जुड़ा एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें प्रकृति पूजा, सामाजिक नियम और समुदाय की सांस्कृतिक धरोहर का उल्लेख है। यह गाथा समाज को अपनी जड़ों से जोड़े रखने का कार्य करती है। यह आयोजन गोंड समाज के लोगों के लिए न केवल आध्यात्मिक बल्कि सांस्कृतिक रूप से भी प्रेरणादायक है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाज के गणमान्य लोग भी उपस्थित हैं। ग्राम कोल्हिया में पांच दिवसीय आयोजन को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। पूरे गांव को सजाया गया है और लोग बड़ी श्रद्धा एवं उमंग के साथ आयोजन में शामिल हो रहे हैं।

## कुत्ते को बचाने के चक्कर में अनियंत्रित बाइक गिरी

सिवनी। राष्ट्रबाण

छपारा थाना क्षेत्र के सूखा गांव में गुरुवार को कुत्ता बचाने के चक्कर में बाइक अनियंत्रित होकर सड़क पर गिर गई। हादसे में बाइक पर सवार दो नाबालिग बच्चों समेत 4 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंच गई। घायलों

को एम्बुलेंस-108 की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। जहां पर डॉक्टरों ने सभी को प्राथमिक उपचार के बाद डिस्चार्ज कर दिया। पुलिस घटना की जानकारी जुटा रही है। दरअसल, महेंद्र इनवाती (35) निवासी बरबसपुर उनकी पत्नी रेखा (28) और दो बच्चे

विशाल (8) और विवेन्द्र (5) बाइक पर सवार होकर एक अंतर्गम कार्यक्रम में मुंडई गांव जा रहे थे। इसी दौरान सूखा गांव के पास अचानक एक कुत्ता बाइक के सामने आ गया। कुत्ते को बचाने के चक्कर में बाइक बेकाबू हो गई। इससे बाइक चालक महेंद्र पीछे बैठे पत्नी रेखा और दो बच्चे

विशाल और विवेन्द्र को लेकर नीचे गिर पड़े। हालांकि, हादसे में सभी को हल्की चोटें आई हैं। ग्रामीणों की मदद से सभी घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद बताया कि किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है।

## सिवनी में बंडोल पुलिस ने 4 तस्करों को पकड़ा

7 मवेशी बरामद, 8.25 लाख का माल जब्त

सिवनी। राष्ट्रबाण

सिवनी जिले में मवेशी तस्करों के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। बंडोल पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर सुबह के समय एक टाटा 407 पिकअप वाहन को पकड़ा। वाहन में क्रूरतापूर्वक बंधे 7 मवेशी मिले। पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार मेहता के निर्देशन में गठित टीम ने राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर अलोनिया टोल टैक्स के पास यह कार्रवाई की। वाहन में 6 नाटा और 1 बछड़ा था। सभी मवेशियों के सींग, मुंह, गला और पैर बंधे हुए थे। पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें वाहन चालक विनोद टेंभरे (37),



आकाश धंवर (24), राजेश बरकडे (26) और आकाश मडावी (22) शामिल हैं। सभी आरोपी बरघाट थाना क्षेत्र के ग्राम मऊ के रहने वाले हैं। पूछताछ में पता चला कि मवेशियों को नागपुर के कल्लखाने ले जाया जा रहा था। पुलिस ने मवेशियों और वाहन

को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत 8.25 लाख रूपए है। सभी आरोपियों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी अर्पित भैरम के नेतृत्व में सहायक उपनिरीक्षक अशोक सेन समेत पूरी पुलिस टीम शामिल रही।

## 'गोल्डन आर्म' के नाम से मशहूर हुए जेम्स हैरीसन

## शाहपुर से गायब, बैतूल में चल रहा वन उत्पादन कार्यालय

बैतूल। राष्ट्रबाण

शाहपुर वन परिक्षेत्र उत्पादन का कार्यालय शाहपुर से अस्थायी रूप से गायब हो गया है। विभागीय दस्तावेजों में यह कार्यालय शाहपुर में संचालित बताया जा रहा है, लेकिन हकीकत में इसका संचालन बैतूल से किया जा रहा है। इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर शाहपुर का कार्यालय बैतूल में क्यों चलाया जा रहा है?

वन परिक्षेत्र अधिकारी शाहपुर उत्पादन ने बताया कि कार्यालय की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है, जिसके कारण इसे बैतूल में अस्थायी रूप से संचालित किया



जा रहा है। हालांकि, सवाल यह है कि यदि भवन क्षतिग्रस्त था, तो शाहपुर में ही किसी अन्य स्थान पर कार्यालय की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्या विभाग के पास कोई

अन्य वैकल्पिक भवन नहीं था, या फिर किसी खास कारण से कार्यालय को बैतूल में संचालित किया जा रहा है? स्थानीय लोगों में इसको लेकर

शाहपुर में नई बिल्डिंग में सुचारु रूप से संचालित होने के लिए रेंजर प्रस्ताव बना कर देंगे तो उसकी स्वीकृति भोपाल से आएगी। पिछला वित्तीय वर्ष अभी खत्म हुआ है नई बिल्डिंग का प्रस्ताव नए वित्तीय वर्ष में लिया होगा, अभी स्वीकृति आने में समय है, मई तक स्वीकृति आएगी उसके बाद ही कार्य स्वीकृत होगा। अभी अस्थायी रूप से बैतूल में कार्यालय संचालित हो रहा है। - सीसीएफ, वन विभाग वन विभाग को शाहपुर में ही कोई भवन किराए पर लेकर अस्थायी परिक्षेत्र कार्यालय संचालित करना चाहिए ताकि लोगों को समस्या ना हो एवं कार्यक्षेत्र की उचित निगरानी भी हो। शाहपुर का कार्यालय बैतूल में अस्थायी रूप से संचालित करना समझ से परे है। - आदिल खान, सामाजिक कार्यकर्ता